BSES

बिजली चोर को 4 साल की सश्रम कैद और 37. 5 लाख का जुर्माना

एक महीने के भीतर दूसरी बार मिली सजा, पहले से ही भुगत रहा है 2 साल की सश्रम कैद

- आरोपी व्यवसायी पूरन सिंह 7 बार पकड़ा जा चुका है बिजली चोरी में
- स्पेशल कोर्ट ने कहा– जुर्माने का भुगतान न करने पर, पूरन सिंह को, और 1 साल की सजा काटनी होगी
- इससे पहले भी, स्पेशल कोर्ट पूरन सिंह को सुना चुका है सजा। पिछली सजा के तहत उसे मिली थी 2 साल की सश्रम कैद और 82 लाख का जुर्माना भी
- मामला पश्चिमी दिल्ली के रनहोला का

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2008। एक महीने के भीतर, व्यवसायी मास्टर पूरन सिंह को विकासपुरी स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने दूसरी बार सजा सुनाई है। पेश मामले में, उसे 4 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही, उस पर 37. 5 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि वह जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे, और 1 साल की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि पूरन सिंह आदतन एक बिजली चोर है और बिजली चोरी में उसे 7 बार पकड़ा जा चुका है।

7 बार बिजली चोरी में पकड़े गए मास्टर पूरन सिंह की दलीलों को कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। उसने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उसकी उम्र 55 साल हो चुकी है और इसे देखते हुए, उसे दी जा रही सजा में नरमी बरती जाए, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने उसकी एक न सुनी और उसे 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही, उस पर 37. 5 लाख रूपये का जुर्माना भी ठोंक दिया। यदि पूरन सिंह जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे 1 साल और जेल काटनी होगी। एक महीने के अंदर, दूसरी बार मास्टर पूरन सिंह को बिजली चोरी के जुर्म में दोषी करार दिया गया। इससे पहले, पूरन को 2 साल की सश्रम कैद और 82 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वैसे, दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

मामला पश्चिमी दिल्ली के रनहौला का है। बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम 20 जनवरी, 2007 को छापेमारी के दौरान पूरन सिंह को 102 किलोवॉट बिजली चोरी करते पकड़ा था। वह निकट से गुजर रही बीएसईएस की तार पर कटिया डालकर बिजली चोरी कर, उससे अपनी पीवीसी ग्रैनुअल बनाने वाली फैक्ट्री चला रहा था। छापेमार दस्ते ने पाया कि उसकी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें और 4–5 मजदूर काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री में बिजली का कोई मीटर नहीं था। बीएसईएस ने बिजली कानून के प्रावधानों के हिसाब से पूरन सिंह पर 75 लाख रूपये का जुर्माना किया था, लेकिन तय समय के भीतर जब उसने जुर्माने का भुगतान नहीं किया, तो बीएसईएस इस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। अपने आदेश में माननीय जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश जांच रिपोर्ट और फोटोग्राफ आदि, अभियोजन की इस दलील को साबित करते हैं कि रनहोला में सरकारी प्राथमिक स्कूल के निकट, पोल संख्या 5 के पास स्थित जगह पर बीएसईएस की तार से बिजली की सीधी सप्लाई ली जा रही थी। गौरतलब है कि कोर्ट की कार्यवाही के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष साबित की पूरी कोशिश की और बीएसईएस द्वारा पेश किए गए प्रमाणों को मानने से इनकार कर दिया था।

जज के ऑर्डर में आगे कहा गया है– यह आरोपी की सजा का दूसरा मामला है। बिजली कानून की धारा 135 के द्वितीय प्रावधान के हिसाब से, ऐसे मामले में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और बिजली चोरी से हुए वित्तीय लाभ के, कम से कम छह गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। ... मुझे लगता है कि इस मामले में 4 साल की सश्रम कैद की सजा, न्याय होगी।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304